पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेलः reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– प–10 ( )संस्थापन/प्रबंध बोर्ड/2013–14/6444 दिनांकः– 08.09.2017

प्रबंध मण्डल की सप्तम बैठक दिनांक 06.09.2017 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 06.09.2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की सप्तम बैठक कुलपति सचिवालय में प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रहीः–

1.	डॉ. बी.एल. शर्मा	अध्यक्ष (माननीय कुलपति)
2.	श्री रतनलाल जलधारी	मा. सदस्य (मा. विधायक, सीकर)
3.	श्री जयप्रकाश	मा. सदस्य (प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सीकर)
4.	प्रो. यशपाल सिंह	मा. सदस्य (मा. कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य)
5.	प्रो. सोमकांत भोजक	मा. सदस्य (मा. कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य)
6.	श्री मूल चन्द	प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर)
7.	डॉ. ए. के. गुप्ता	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
8.	डॉ. राजेश कुमार	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
9.	डॉ. दिलसुख थालौड़	मा. सदस्य (डीन विधि)
10.	डॉ. राकेश बुडानिया	मा. सदस्य (डीन शिक्षा)
11.	डॉ. नगेन्द्र सिंह नाथावत	मा. सदस्य (प्राचार्य, सेठ भगवान दास तोदी कॉलेज, लक्ष्मणगढ़)
12.	श्री रामनिवास जाट	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम मा. कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: गत बैठक दिनांक 26.03.2017 के कार्यवृत का अनुमोदन ।
निर्णयः प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 26.03.2017 के कार्यवृत सर्वानुमति से संलग्न प्रारूप में अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: अनुपालना प्रतिवेदन ।
निर्णयः अनुपालना प्रतिवेदन को सर्वानुमति से स्वीकार किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर के वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट का वित्त समिति द्वारा अनुमोदन। नोट– पूर्व बैठक के एजेण्डा के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है।

नोटः प्रबन्ध मण्डल के निर्देशानुसार वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.06.2017 के एजेण्डा/निर्णय संख्या 03 के द्वारा प्रबंध मण्डल की सूचना अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट को अनुमोदित कर दिया गया है, अतः प्रबंध मण्डल के सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट के विश्वविद्यालय वित्त समिति के अनुमोदन की सूचना को ग्रहण किया जाता है।

वित्त/लेखा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न सामग्री एवं साधनों के उपापन हेतु विश्वविद्यालयी अधिकारियों एवं प्राधिकार मण्डल की सरंचना के अनुरूप पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर उपापन बिनियम का अनुमोदन । नोट– पूर्व बैठक के एजेण्डा के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है।

नोटः वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.06.2017 के एजेण्डा/निर्णय संख्या 04 के द्वारा प्रबंध मण्डल की सूचना अनुसार विभिन्न सामग्री एवं साधनों के उपापन हेतु विश्वविद्यालयी अधिकारियों एवं प्राधिकार मण्डल की सरंचना के अनुरूप पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर उपापन विनियम को अनुमोदित कर दिया गया है, अतः प्रबंध मण्डल के सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर उपापन विनियम'' के विश्वविद्यालय वित्त समिति के अनुमोदन की सूचना को ग्रहण किया जाता है।

वित्त/लेखा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 05: विश्वविद्यालय के परीक्षा संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु परीक्षा विभाग में नियमित परीक्षा नियंत्रक नहीं होने के कारण उक्त पद का प्रभार ओएसडी को देना तय किया गया। प्रभार देने के विश्वविद्यालय उक्त प्रशासनिक कार्यों का एवं तत्संबंध में सुसंगत सभी चैक पर हस्ताक्षर करने के लिए नियुक्त एवं अधिकृत ओएसडी, परीक्षा (परीक्षा नियंत्रक) की पुष्टि एवं अधिकृत करने के निर्णय के संदर्भ में:

अ. दिनांक 26.04.2017 से 02.08.2017 (कार्यालय समय पश्चात) तक की अवधि के लिए श्री रणजीत बुडानिया को प्रभार देने एवं चैक पर हस्ताक्षर करने के निर्णय की पुष्टि।

ब. दिनांक 02.08.2017 (कार्यालय समय पश्चात) से अग्रिम आदेश तक की अवधि के लिए श्री मुनेश कुमार को प्रभार देने एवं चैक पर हस्ताक्षर करने के निर्णय की पुष्टि।

निर्णयः सर्वानुमति से श्री रणजीत बुडानिया को दिनांक 26.04.2017 से 02.08.2017 एवं श्री मुनेश कुमार को दिनांक 02.08.2017 से अग्रिम आदेश तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय के

विशेषाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के प्रशासनिक आदेशों को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है एवं उक्त अवधि में इनको प्रदत चैक हस्ताक्षरित करने की शक्तियों को भी स्वीकृत कर अनुमोदित किया जाता है।

परीक्षा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 06: विश्वविद्यालय में प्रशासनिक एवं मंत्रालयिक पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अर्हता एवं नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में बनाये गये संशोधित अध्यादेश 359 (E), 359 (F), 359 (H), 359 (I), 359 (K), 359 (L) को जब तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के अध्यादेश पारित नहीं होते हैं, उस तिथि तक होने वाली नियुक्तियों के संबंध में अंगीकृत करना। संलग्नक– 1.

निर्णय: सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में प्रशासनिक एवं मंत्रालयिक पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अर्हता एवं नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में बनाये गये संशोधित अध्यादेश 359 (E), 359 (F), 359 (H), 359 (I), 359 (K), 359 (L) को जब तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के अध्यादेश पारित नहीं होते हैं तब तक अथवा उस तिथि तक होने वाली नियुक्तियों के संबंध में स्वीकार कर संलग्नक 1 के अनुसार अंगीकृत किया जाता है।

स्थापना विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 07: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के लिए प्रस्तावित स्टेच्यूट्स (The Statute of Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University) के प्रारूप को स्वीकार कर पारित करना। संलग्नक–2

सर्वानुमति से संलग्नक 2 के सभी प्रस्तावों के द्वारा **The Statute of Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University** के सभी प्रस्तावित स्टेच्यूट्स को निम्न विवरणानुसार रिजोल्यूशन्स के द्वारा स्वीकार किया जाता है:

Meeting of the Board of Management dated 06.09.2017: Detailed Breakup of the Agenda No. 7

In addition to agenda No. 7 and the annexure attached with it, the following sub agendas are submitted for the decision:

Sub Agenda 7.1.1 Title of the Statutes: *THE STATUTE OF PANDIT DEENDAYAL SHEKHAWATI UNIVERSITY (Statute enacted in exercise of the powers conferred under Section 42 and 43 of the Pandit Deendayal Shekhawati University Act, 2012).*

7.1.2 PART-I

PRELIMINARY

Sub Agenda No. 7.2 PART-II: UNIVERSITY AUTHORITIES

7.2.1 Chapter-1

Board of Management

(Under Section 19 and 20)

Sub Agenda No. 7.2 PART-II: UNIVERSITY AUTHORITIES

7.2.2 Chapter-2

Academic Council

(Under Section 21)

Sub Agenda No. 7.2 PART-II: UNIVERSITY AUTHORITIES

7.2.3 Chapter-3

Faculty, Departments and other Academic Committees

(Under Section 23)

Sub Agenda No. 7.2 PART-II: UNIVERSITY AUTHORITIES

7.2.4 Chapter-4

Board of Studies

(Under Section 24)

Sub Agenda No. 7.3 PART-III: OFFICERS OF THE UNIVERSITY

7.3.1 Chapter-5

Vice-Chancellor

(Under Section 10, 11 and 12)

Sub Agenda No. 7.3 PART-III: OFFICERS OF THE UNIVERSITY

7.3.2 Chapter-6

Registrar

(Under Section 13)

Sub Agenda No. 7.3 PART-III: OFFICERS OF THE UNIVERSITY

7.3.3 Chapter-7

The Comptroller

(Under Section 14)

Sub Agenda No. 7.3 PART-III: OFFICERS OF THE UNIVERSITY

7.3.4 Chapter-8

Estate Officer and Dean of the Student Welfare

(Under Section 15)

Sub Agenda No. 7.3 PART-III: OFFICERS OF THE UNIVERSITY

7.3.5 Chapter-9

Deans of Faculties and their Functions

(Under Section 16)

Sub Agenda No. 7.3 PART-III: OFFICERS OF THE UNIVERSITY

7.3.6 Chapter-10

Director Research

(Under Section 10 (a) (vi))

Sub Agenda No. 7.3 PART-III: OFFICERS OF THE UNIVERSITY

7.3.7 Chapter-11

Controller of Examinations

(Under Section 10 (a) (vi))

Sub Agenda No. 7.4 PART-IV: COMMITTEES OF THE UNIVERSITY

7.4.1 Chapter-12

Finance Committee

(Under Section 25)

Sub Agenda No. 7.4 PART-IV: COMMITTEES OF THE UNIVERSITY

7.4.2 Chapter-13

Selection Committee

(Under Section 20 (h))

Sub Agenda No. 7.4 PART-IV: COMMITTEES OF THE UNIVERSITY

7.4.3 Chapter-14

Coordination Committee

(Under Section 20 (h))

Sub Agenda No. 7.5 PART-V: AFFILIATION AND MANAGEMENT OF COLLEGES/INSTITUTIONS

7.5.1 Chapter-15

Affiliation of Colleges/Institution and their Management

(Under Section 2 (b))

Sub Agenda No. 7.6 PART-VI: FUNDS, ACCOUNTS AND AUDIT OF THE UNIVERSITY

7.6.1 Chapter-16

University Fund

(Under Section 33 to 37)

Sub Agenda No. 7.6 PART-VI: FUNDS, ACCOUNTS AND AUDIT OF THE UNIVERSITY

7.6.2 Chapter-17

University Accounts and Audit

(Under Section 34)

Sub Agenda No. 7.7 PART-VII: WELFARE PROVISIONS OF EMPLOYEES

7.7.1 Chapter-18

New Contributory Pension Scheme

(Under Section 30)

Sub Agenda No. 7.8 PART-VIII: GENERAL PROVISIONS

7.8.1 Chapter-19

General Provisions

7.8.1.1 Confirmation of Degree/Confirmation of Honorary Degree

7.8.1.2 Teaching Staff of the University

7.8.1.3 Research Fellowship, Prize and Scholarship

7.8.1.4 Services and Cessation thereof

7.8.1.5 Provision to Preside/Chair the meetings in absence of express provision

7.8.1.6 Running Audit by the Officers appointed by the Government

7.8.1.7 Annual Report

7.8.1.8 Academic Programmes and Scheme of Examinations

7.8.1.9 Vice-Chancellor

7.8.1.10 Qualifications and Appointment of Teaching Staff

7.8.1.11 Qualifications and Appointment of Non-Teaching Staff

7.8.1.12 Official Language

7.8.1.13 Medium of Instruction

7.8.1.14 University Boards

नोटः प्रस्तावित सभी स्टेच्यूट्स वर्तमान रिजोल्यूशन्स के साथ संलग्न हैं।

वित्त/लेखा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 08: विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016–17 में घोषित सभी परीक्षाओं के परीक्षा परिणामों की अधिसूचनाओं की सूचना ग्रहण करना।

सर्वानुमति से शैक्षणिक सत्र 2016–17 में घोषित सभी परीक्षाओं के परीक्षा परिणामों की अधिसूचनाओं की सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है।

परीक्षा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 09: चांसलर गोल्ड मेडल एवं चांसलर सर्टिफिकेट ऑफ हॉनर के प्रस्ताव मय नियमों के स्वीकार करना एवं इस हेतु संभावित खर्च के लिए बजट प्रावधान। संलग्नक–3

सर्वानुमति से चांसलर गोल्ड मेडल एवं चांसलर सर्टिफिकेट ऑफ हॉनर के प्रस्ताव मय नियमों के स्वीकार कर इस हेतु संभावित खर्च के लिए बजट प्रावधान किया जाता है।

परीक्षा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 10: शैक्षणिक 2017–18 के लिए स्वर्ण पदकों के निर्माण हेतु भारत सरकार टकसाल, मुंबई (भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई–भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई) से प्राप्त कोटेशन को उल्लेखित शर्तों के साथ स्वीकार करना।

सर्वानुमति से शैक्षणिक 2017–18 के लिए स्वर्ण पदकों के निर्माण हेतु भारत सरकार टकसाल, मुंबई (भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई–भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई) से प्राप्त कोटेशन को उल्लेखित शर्तों के साथ स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है तथा यह भी निर्धारित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के सभी स्वर्ण पदक, चांसलर गोल्ड मेडल एवं इनके लिए आवश्यक डाई (सांचा) भी भारत सरकार की उक्त टकसाल बनवायी जाये।

नोटः यदि भारत सरकार टकसाल, मुंबई (भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई–भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई) द्वारा स्वर्ण पदक के लिए भुगतान को लेते समय गोल्ड मेडल की दर में कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को अनुमत किया जाता है।

परीक्षा एवं वित्त/लेखा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 11: शैक्षणिक सत्र 2016–17 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपाधियों के मुद्रण हेतु किए गए टेण्डर का अनुमोदन।

सर्वानुमति से शैक्षणिक सत्र 2016–17 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपाधियों के मुद्रण हेतु किए गए टेण्डर करने के कृत्य को स्वीकार किया जाता है।

परीक्षा/वित्त/लेखा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 12: विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक 2016–17 में विद्यार्थियों के उपयोग हेतु बनायी गयी उत्तरपुस्तिकाओं के निर्माण हेतु एजेन्सी को किए गए आंशिक भुगतान एवं प्रस्तावित भुगतान का अनुमोदन। विवरणः कुल देय राशि 12524756 आंशिक भुगतान 8177646 देय भुगतान 4347110।

सर्वानमुमति से विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक 2016–17 में विद्यार्थियों के उपयोग हेतु बनायी गयी उत्तरपुस्तिकाओं के निर्माण हेतु एजेन्सी को किए गए आंशिक भुगतान एवं प्रस्तावित भुगतान का अनुमोदन किया जाता है। उक्त भुगतान के अन्तर्गत देय राशि रू. 1,25,24,756, आंशिक भुगतान रू. 81,77,646 एवं देय भुगतान रू. 43,47,110 के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है।

परीक्षा/वित्त/लेखा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 13: विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक 2016–17 की परीक्षा के लिए बनाये गये प्रश्न–पत्रों हेतु किए गए खर्च का अनुमोदन एवं संबंधित एजेन्सी (नाम–गोपनीय) के प्रस्तावित सम्पूर्ण भुगतान का अनुमोदन।

सर्वानुमति से विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक 2016–17 की परीक्षा के लिए बनाये गये प्रश्न–पत्रों हेतु किए गए खर्च का अनुमोदन एवं संबंधित एजेन्सी (नाम–गोपनीय) के प्रस्तावित सम्पूर्ण भुगतान को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है।

परीक्षा/वित्त/लेखा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 14: विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक 2016–17 की परीक्षा के लिए आउटसोर्सिंग के डिजिटल वर्क के लिए किए गए खर्चों का अनुमोदन एवं शेष प्रस्तावित खर्च के भुगतान का अनुमोदन।

सर्वानुमति से विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक 2016–17 की परीक्षा के लिए आउटसोर्सिंग के डिजिटल वर्क के लिए किए गए खर्चों का अनुमोदन एवं शेष प्रस्तावित खर्च के भुगतान का अनुमोदन कर स्वीकार किया जाता है।

परीक्षा/वित्त/लेखा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 15: विश्वविद्यालय के विधिक कार्यों/न्यायालय में प्रस्तावित एवं लंबित मुकदमों/विधिक सहायता के लिए वकीलों के पैनल का अनुमोदन।

सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के विधिक कार्यों/न्यायालय में प्रस्तावित एवं लंबित मुकदमों/विधिक सहायता के लिए वकीलों के पैनल का अनुमोदन किया जाता है। संलग्नक–6

नोटः अन्य किसी भी व्यक्ति को अधिवक्ता नियुक्त करने, पैनल में नाम डालने अथवा विशेष परिस्थितियों में विशेष पारिश्रमिक अनुमत करने की शक्तियां प्रबंध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रदत की जाती हैं।

विधिक विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 16: जस्टिस पानाचंद जैन कमेटी के प्रभारी अधिकारी एवं एडवोकेट श्री ए.के. शर्मा के प्रस्तावित देय के भुगतान का अनुमोदन।

सर्वानुमति से जस्टिस पानाचंद जैन कमेटी के प्रभारी अधिकारी एवं एडवोकेट श्री ए.के.शर्मा के प्रस्तावित देय के भुगतान का अनुमोदन किया जाता है।

संस्थापन/वित्त/लेखा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 17: शैक्षणिक सत्र 2016–17 के सभी परीक्षा संबंधी कार्य करने वाले अधिकारियों, समन्वयकों, पेपर–सैटर, परीक्षकों एवं परीक्षा में उपयोग में लिए गए वाहनों को दिए गए भुगतानों का अनुमोदन।

सर्वानुमति से शैक्षणिक सत्र 2016–17 के सभी परीक्षा संबंधी कार्य करने वाले अधिकारियों, समन्वयकों, पेपर–सैटर, परीक्षकों एवं परीक्षा में उपयोग में लिए गए वाहनों को दिए गए भुगतानों का अनुमोदन किया जाता है।

परीक्षा/वित्त/लेखा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 18: विश्वविद्यालय के प्रस्तावित कटराथल परिसर के विकास एवं भवन निर्माण मय मास्टर प्लान एवं संभावित खर्चों के लिए बनाए गए सभी दस्तावेजों मय आरएसआरडीसी के साथ किए गए एमओयू का अनुमोदन। संलग्नक–7 (एमओयू की प्रति) संलग्नक–8 राज्य सरकार से प्राप्त भवन निर्माण अनुदान का आरएसआरडीसी को हस्तान्तरण दस्तावेज संलग्नक–9 विश्वविद्यालय द्वारा आरएसआरडीसी को लिखे गये पत्रों का अनुमोदन।

सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के प्रस्तावित कटराथल परिसर के विकास एवं भवन निर्माण मय मास्टर प्लान एवं संभावित खर्चों के लिए बनाए गए सभी दस्तावेजों, आरएसआरडीसी को लिखे गये सभी पत्रों का मय एमओयू का अनुमोदन किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 19: आरएसआरडीसी द्वारा विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप (जिसमें शेखावाटी शिल्प शैली का भी उपयोग हो) ऐसे स्वतंत्र भवन के निर्माण का अनुमोदन।

नोट–

1. **विश्वविद्यालय के पास मात्र 22 एकड़ भूमी है अतः हॉरीजोन्टल के स्थान पर वर्टिकल निर्माण को प्राथमिकता देनी है।**
2. **प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि के कन्टूर्स एवं सड़क के स्तर से भूमि का स्तर काफी नीचा होने के कारण अण्डरग्राउण्ड फ्लोर पर सैलर, ग्राउण्ड फ्लोर पर परीक्षा एवं गोपनीय विभाग, प्रथम फ्लोर पर जन उपयोगी विभाग एवं द्वितीय फ्लोर पर विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक विभाग जिसमें कुलपति सचिवालय भी शामिल है, का निर्माण भूमि की कम उपलब्धता को ध्यान में रखना प्रस्तावित है।**
3. **चूंकि विश्वविद्यालय के साथ 500 के लगभग संबद्ध कॉलेज संबंधित है, जो समानान्तर समय में स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों से बहुत ज्यादा है। उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा सैलर, परीक्षा विभाग, गोपनीय विभाग, संबद्धता विभाग, स्टोर इत्यादि विभागों का माप अन्य विश्वविद्यालय की तुलना में ज्यादा है एवं शेखावाटी विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप निर्मित करना प्रस्तावित है।**
4. **चूंकि विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण समिति तकनिकी दृष्टि से सर्वोच्च संस्था है एवं तत्पश्चात उक्त कार्य प्रबन्ध मण्डल के क्षेत्राधिकार की विषयवस्तु होती है अतः प्रस्तावित भवन एवं परिसर विकास एवं डिजायन/कन्सेप्ट के कृत्यों के संदर्भ में अंतिम निर्णय का अधिकार उक्त प्राधिकार मण्डलों में निहित हैं अतः उक्त डिजायन एवं प्रस्तावों को उक्त मण्डलों से अनुमोदित करवाया जायें।**

सर्वानुमति से विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप (जिसमें शेखावाटी शिल्प शैली का भी उपयोग हो) ऐसे स्वतंत्र भवन के निर्माण का उपरोक्त सभी नोट्स के साथ अनुमोदन कर स्वीकार किया जाता है तथा इस तथ्य को भी स्वीकार कर अनुमत किया जाता है कि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन, कुलपति सचिवालय, परीक्षा विभाग, गोपनीय विभाग, परीक्षा एवं गोपनीय विभाग के सैलर एवं परीक्षा संबंधी अन्य/आनुषांगिक कार्यों के लिए अलग–अलग की जगह एक ही

प्रशासनिक भवन बनाया जावे जिससे कि आवंटित भूमि की कमी की समस्या को प्रभावी तरीके से नियमित किया जा सके, प्रस्तावित लागत में कमी की जा सके, अलग–अलग कन्टूर्स पर प्रभावी निर्माण किया जा सके इत्यादि। उक्त कारणों से प्रस्तावित निर्माण अन्य विश्वविद्यालयों के प्लान के समान नहीं हो सकने की परिस्थितियों को भी स्वीकार कर अनुमत किया जाता है।

सम्पदा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 20: विश्वविद्यालय में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित SWAYAM सहित सभी डिजिटल योजनाओं को अंगीकृत करना।

सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित SWAYAM सहित सभी डिजिटल योजनाओं को अंगीकृत किया जाता है।

प्लानिंग एण्ड डवलपमेन्ट विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 21: विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड के गठन एवं मनोनयनों का अनुमोदन।

सर्वानुमति से विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड के गठन एवं मनोनयनों को संलग्नक 10 के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

खेल विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 22: निरीक्षण मण्डल की बैठकों के सभी एजेण्डा/निर्णयों का अनुमोदन।

सर्वानुमति से निरीक्षण मण्डल की बैठकों के सभी एजेण्डा/निर्णयों का अनुमोदन कर स्वीकार किया जाता है।

सम्बद्धता विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 23: विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंनें पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अथवा राजस्थान राज्य के क्षेत्राधिकार में अवस्थित राज्य विश्वविद्यालयों से अर्हता परीक्षा पास नहीं की है, उनके लिए संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व प्रोविजनल अर्हता प्रमाण–पत्र एवं माइग्रेशन प्राप्त होने के बाद अंतिम अर्हता प्रमाण–पत्र की व्यवस्था पूर्ववर्ती शर्त के रूप में लागू करने पर विचार।

नोटः– इक्विलेन्स कमेटी की बैठक समय पर नहीं हो पाती है एवं बाद में अयोग्य पाये जाने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निकाले जाने पर विद्यार्थियों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा न्यायालयों में वाद दाखिल किये जाते हैं। उक्त परिस्थितियों को टालने हेतु प्रस्तावित व्यवस्था लागू की जाती है।

सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंनें पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अथवा राजस्थान राज्य के क्षेत्राधिकार में अवस्थित राज्य विश्वविद्यालयों से अर्हता परीक्षा पास नहीं की है, उनके लिए संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व प्रोविजनल अर्हता प्रमाण–पत्र एवं माइग्रेशन प्राप्त होने के बाद अंतिम अर्हता प्रमाण–पत्र की व्यवस्था पूर्ववर्ती शर्त के रूप में लागू करने के प्रस्ताव को मय संलग्न नोट के स्वीकार किया जाता है।

अकादमिक विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 24: श्रमिकों के आकस्मिक परिस्थितियों, उपलब्धता एवं बाजार दर को ध्यान में रखते हुए प्रति श्रमिक रू. 400/– प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक तय करने के बाबत।
नोट– विश्वविद्यालय में स्थायी कर्मचारी/श्रमिक नहीं हैं और कई बार भारी–भरकम कार्य के लिए विशेषतः परीक्षा एवं ट्रांसपोर्टेशन में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, बाजार मूल्य देखते हुए 400 रू. से कम में ऐसे श्रमिक उपलब्ध नहीं है।

सर्वानुमति से श्रमिकों के आकस्मिक परिस्थितियों, उपलब्धता एवं बाजार दर को ध्यान में रखते हुए प्रति श्रमिक रू. 400/– प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक तय किया जाता है।

वित्त/लेखा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 25: विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का अभाव है। राज्य सरकार ने जो पद स्वीकृत किये हैं, उन पदों के विरूद्ध नियमित व्यवस्था न होने तक नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय को अधिकृत करने बाबत।
नोट– विश्वविद्यालय में वर्तमान में नियुक्तियां होम गार्ड, रेक्सको एवं सेवानिवृत कर्मचारियों के द्वारा ही की जाती है। जिनको देय भुगतान सामान्य देय भुगतान से अधिक है। कई परिस्थितियों में होम गार्ड एवं रेक्सको से कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पाते है ऐसी परिस्थितियों में प्राईवेट एजेन्सी के द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जाने बाबत।

सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में राज्य सरकार ने जो पद स्वीकृत किये हैं, उन पदों के विरूद्ध नियमित व्यवस्था न होने तक नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय को अधिकृत किया जाता है।
नोटः विश्वविद्यालय इस संदर्भ में एजेन्सी के माध्यम किसी भी सार्वजनिक शासकीय एवं निजी एजेन्सी के माध्यम से नियुक्ति की जा सकती है।

संस्थापन विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 26: श्री सुखवीर शर्मा एवं महेश चंद पुरोहित के पद वर्तमान में रिक्त है, विश्वविद्यालय में संबंधित कार्य के सम्यक एवं प्रभावी निष्पादन हेतु जब तक राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिल जाती है, तब तक श्री सुखवीर शर्मा एवं महेश चंद पुरोहित को पूर्व शर्तों एवं वर्तमान पद की नियुक्ति प्रकृति के अन्तर्गत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त करने के प्रशासनिक कार्यों का अनुमोदन।

सर्वानुमति से श्री सुखवीर शर्मा एवं महेश चंद पुरोहित के पद वर्तमान में रिक्त है, विश्वविद्यालय में संबंधित कार्य के सम्यक एवं प्रभावी निष्पादन हेतु जब तक राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिल जाती है, तब तक श्री सुखवीर शर्मा एवं महेश चंद पुरोहित को पूर्व शर्तों एवं वर्तमान पद की नियुक्ति प्रकृति के अन्तर्गत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त करने के प्रशासनिक कार्यों को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है।

संस्थापन विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 27: विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा देने हेतु चिकित्सकों, चिकित्सालयों, लेबोरेट्रीज एवं अन्य जांच करने वाली चिकित्सकीय जांच की संस्थाओं के पैनल का अनुमोदन एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के मेडिकल नियमों का अंगीकरण।
नोट– 1वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पैनल प्रस्तुत है।
2 सीकर से प्राप्त आवेदन प्रस्तुत है।

सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा देने हेतु एवं उनके चिकित्सकीय एवं निदान खर्च तथा reimbursement हेतु चिकित्सकों, चिकित्सालयों, लेबोरेट्रीज एवं अन्य जांच करने वाली चिकित्सकीय जांच की संस्थाओं के संलग्न पैनल को एवं नियमों को निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है (Empanel Hospitals and Diagnosis Centres):

1. राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अस्पताल एवं अस्पतालों में नियुक्त सभी चिकित्सक एवं निदान संसाधन।
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के अस्पताल एवं अस्पतालों में नियुक्त सभी चिकित्सक एवं निदान संसाधन।
3. राजस्थान राज्य में स्थित सभी सरकारी अस्पताल एवं अस्पतालों में नियुक्त सभी चिकित्सक एवं निदान संसाधन।
4. राजस्थान राज्य में स्थित सभी सार्वजनिक ट्रस्ट के सभी अस्पताल एवं अस्पतालों में नियुक्त सभी चिकित्सक एवं निदान संसाधन।
5. राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश A&F-III/Medical/2016/5700 दिनांक 07.10.2016 के द्वारा अधिकृत सभी अस्पताल एवं अस्पतालों में नियुक्त सभी चिकित्सक एवं निदान संसाधन।
6. डॉ. अरविंद गुप्ता एम.डी.एफ.आई.सी.पी. फिजिशियन एवं मधुमेह विशेषज्ञ, जयपुर डाईबिटिज रिसर्च सेन्टर, 6, जेडीए मार्केट (रिद्धिसिद्धि के पास) मानसरोवर लिंक रोड़, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
7. डॉ. बी. लाल क्लिनिकल लेबोरेट्री, ए–2725 ,हरिमार्ग, मालवीय नगर, जयपुर/6–ई, मालवीया इंडस्ट्रियल एरिया, मालवीय नगर, जयपुर।
8. के.एम. मेमोरियल जैन हार्ट एवं जनरल हॉस्पिटल, बजाज रोड़, सीकर।

9. शर्मा ऑर्थोपेडिक सेन्टर एवं हॉस्पिटल, देवीपुरा कोठी, इन्दिरा नगर, सीकर।
10. दिव्य ज्योति नेत्र चिकित्सालय, बसंत विहार, सीकर।
11. श्री किशोर कुमार जांगिड़ एप्पल हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेन्टर, सीकर।
12. हिंमाशु बिल्खीवाल हॉस्पिटल, डी–2, बसंत विहार, सीकर।
13. नरोत्तम बिल्खीवाल हॉस्पिटल, डी–2, बसंत विहार, सीकर।
14. टिबड़ा आई हॉस्पिटल एण्ड रेटिना सेन्टर, बजाज सर्किल, सीकर।
15. नोबल केयर हॉस्पिटल, बस डिपो तिराहे के पास, सीकर।
16. गुरूकृपा हॉस्पिटल रिसर्च सेन्टर, पिपराली रोड़, सीकर।
17. उषा स्माइल केयर, बसंत विहार, सीकर।

नोटः 1. आपातकाल अथवा ट्रोमा की स्थिति में किसी भी अस्पताल से दी गई चिकित्सकीय सहायता एवं निदान यदि उक्त अस्पताल द्वारा आपातकालीन चिकित्सकीय एवं निदान की आवश्यकता का प्रमाण–पत्र दिया जाता है तो उक्त अस्पताल एवं निदान केन्द्र को भी उक्त केस विशेष के प्रयोजन से मान्य माना जायेगा तथा ऐसे अस्पताल एवं निदान केन्द्र के बिल देय होंगें।

2. चिकित्सकीय सुविधा एवं निदान की सुविधा एवं इनके बिलों के reimbursement के संदर्भ में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सभी नियमों को अंगीकृत किया जाता है।

3. उक्त अस्पताल जिनका उल्लेख क्रम संख्या 1 से 4 तक है, उनको स्थायी रूप से चिकित्सकीय सहायता एवं निदान के लिए स्वीकार करके Empanel किया जाता है।

4. उक्त अस्पताल एवं चिकित्सक जिनका उल्लेख क्रम संख्या 5 से 17 तक में है, उन्हें दिनांक 08.09.2017 से तीन वर्ष अर्थात 07.09.2020 तक के लिए मान्यता प्रदान करके Empanel किया जाता है।

संस्थापन विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 28: शैक्षणिक सत्र 2015–16 में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाएं पिछले एक वर्ष से किराये के मकान में पड़ी हुई हैं, विश्वविद्यालय का अपना कोई भवन एवं परिसर नहीं है। शैक्षणिक सत्र 2016–17 की उत्तरपुस्तिकाएं भी आ गई हैं, जिनका भण्डारण संभव नहीं हो पा रहा है। व्यवस्थित भण्डारण के अभाव में शैक्षणिक सत्र 2016–17 के परीक्षा परिणाम समय पर आने के बावजूद में पूनर्मूल्यांकन में देरी हो रही है। उच्च कक्षा की समिति की अनुशंषा एवं प्रशासनिक अनुमोदन पर निर्णय।

नोटः विश्वविद्यालय 2015–16 की उत्तरपुस्तिकाओं की निलामी हेतु टेण्डर किया, परन्तु उचित संख्या में टेण्डर प्राप्त नहीं हुए। संबंधित समिति की अनुशंषा पर नई उच्च कक्षा की समिति बनाई गई तथा नई समिति ने मय कारणों के अनुशंषा की कि संबंधित पक्षकार के बातचीत के बाद नेगोशियसन द्वारा बढ़ाई गई दरों पर उत्तरपुस्तिकाओं का विक्रय किया जा सकता है।

सर्वानुमति से निर्णय कर शैक्षणिक सत्र 2015–16 में आयोजित विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं की निलामी के टेण्डर का अनुमोदन कर संलग्न नोट के साथ में स्वीकार किया जाता है।

परीक्षा/वित्त/लेखा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 29: विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए निरीक्षण नहीं करवाया है ऐसे महाविद्यालयों की संबद्धता पर विचार एवं विश्वविद्यालय द्वारा उठाये गये प्रशासनिक कदमों की समीक्षा।
नोट– विश्वविद्यालय की स्थापना से ही किसी भी महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व अस्तित्व में था अथवा पूर्व से ही किसी भी पाठ्यक्रम को मान्यता मिली हुई थी द्वारा एक बार भी निरीक्षण नहीं करवाया है।

सर्वानुमति से विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए निरीक्षण नहीं करवाया है, ऐसे महाविद्यालयों की संबद्धता पर विश्वविद्यालय द्वारा उठाये गये प्रशासनिक कदमों को अनुमोदित किया जाता है तथा यह भी निर्धारित किया जाता है कि ऐसे महाविद्यालयों को चिन्हित किया जाये एवं जिन महाविद्यालयों को सामयिक अथवा समय विशेष के लिए अस्थायी संबद्धता मिली थी, रिन्युल के अभाव में उक्त संबद्धता स्वतः रद्द मानी जाये। यह भी निर्णय किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के बाद जिन महाविद्यालयों ने निरीक्षण नहीं करवाया है, ऐसे महाविद्यालयों तथा जिन पाठ्यक्रमों को एक भी दफा निरीक्षण नहीं हुआ है, उन्हें चिन्हित किया जाये।

सम्बद्धता विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 30: विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय नियमन संस्थाओं एवं यूजीसी के नियमानुसार यदि एक महाविद्यालय एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाता है तो सभी पाठयक्रमों के लिए अलग–अलग एफडी जमा करवानी होती है परन्तु रिकॉर्ड में आया है कि एक ही एफडी को बार–बार लगाकर कपटपूर्ण तरीके से संबद्धता प्राप्त की गई है, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के परिसर में अन्य कोई पाठ्यक्रम अथवा शैक्षणिक संस्था नहीं चलाई जा सकती परन्तु रिकार्ड में सक्रिय रूप से इस तथ्य को छुपाकर संबद्धता प्राप्त की जाती है, अध्यापक एक से अधिक महाविद्यालयों में अथवा पाठ्यक्रमों में कॉमन अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है, अध्यापक यूजीसी, व्यावसायिक नियमन संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय के मानदण्डों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते है। निरीक्षण के समय अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है एवं बाद में हटा दिया जाता है एवं वेतन नहीं दिया जाता है, एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए उसी संसाधनों को दर्शाया जाता है इत्यादि संबद्धता संबधित अनियमितताओं पर विचार।

सर्वानुमति से सभी महाविद्यालयों को नियुक्त अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता की जांच की जाये तथा अध्यापकों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत त्रुटियों अथवा कमियों की पहचान की जाये एवं इस हेतु एक समिति बनाई जाये।

सम्बद्धता विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 31: अर्जुन राम टीटी कॉलेज, पुरा की ढ़ाणी (सीकर) द्वारा कॉमन अध्यापक बताकर कूटरचित तरीके से दस्तावेजों एवं प्रस्ताव बनाने एवं इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय पर चर्चा।

सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि अर्जुन राम टीटी कॉलेज एवं विकास टी.टी. कॉलेज की मान्यता रद्द करने हेतु नोटिस दिया जाये एवं तत्पश्चात आगे की कार्यवाही की जाये।

सम्बद्धता विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 32: महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता की प्रक्रिया में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अर्हता न पाये जाने पर अथवा पाठ्यक्रम के प्रस्ताव को विड्रा करने पर पुनः विभिन्न शुल्क के मांगे जाने के संदर्भ में चर्चा।

सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता की प्रक्रिया में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अर्हता न पाये जाने पर अथवा पाठ्यक्रम के प्रस्ताव को विड्रा करने पर पुनः विभिन्न शुल्क के मांगे जाने के संदर्भ में निम्न विवरणानुसार एक कमेटी गठित की जाती है:

1. डॉ. दिलसुख थालौड़, अध्यक्ष
2. डॉ. नगेन्द्र सिंह नाथावत, सदस्य
3. डॉ. राकेश बुडानिया, सदस्य

सम्बद्धता विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 33: महाविद्यालयों की निरीक्षण फीस बढ़ाये जाने के संदर्भ में चर्चा।
नोट– विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण फीस के आधार पर निरीक्षण करवाया जाता है। वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा देय निरीक्षण शुल्क 10000/– + आवेदन पत्र शुल्क 1000/– जो पूर्व में निर्धारित किये गये है। वर्तमान में न्यूनतम तीन सदस्य होते है जिन्हे टेक्सी दर से विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जाता है एवं उन्हे मानदेय भी देना होता है तदुपरान्त विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रशासनिक एवं मंत्रालयिक कार्यों का निष्पादन करना होता है। तदुपरान्त बीओआई के सदस्यों को भी टेक्सी एवं मानदेय का भुगतान करना होता है।

सर्वानुमति से महाविद्यालयों की निरीक्षण फीस बढ़ाये जाने के संदर्भ में निम्न विवरणानुसार एक कमेटी गठित की जाती है:

1. डॉ. दिलसुख थालौड़, अध्यक्ष
2. डॉ. नगेन्द्र सिंह नाथावत, सदस्य
3. डॉ. राकेश बुडानिया, सदस्य
4. श्री रामनिवास जाट, सदस्य

सम्बद्धता विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 34: शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए संबद्धता की प्रक्रिया के संदर्भ में चर्चा।

सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए संबद्धता की प्रक्रिया स्टेच्यूटरी प्रावधानानुसार की जाये तथा यदि आवश्यकता नहीं हो तो किसी नवीन पाठ्यक्रम विशेष के लिए शून्य सत्र घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकृत किया जाता है।

सम्बद्धता विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 35: शर्ताधीन संबद्धता के संबंध में चर्चा।

सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि विश्वविद्यालय के स्टेच्यूट के अनुसार शर्ताधीन संबद्धता प्रदान नहीं की जा सकती है, अतः सभी निरीक्षण समितियों को ताकिद की जाये वे शर्ताधीन संबद्धता के लिए अनुशंषा नहीं करें। शर्ताधीन संबद्धता अवैध होने के कारण शून्य/नकारात्मक मानी जायेगी।

सम्बद्धता विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 36: संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में स्टाफ की नियुक्ति पर चर्चा।

सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में स्टाफ की नियुक्ति विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राष्ट्रीय नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुसार ही की जाये। इन शर्तों के चुस्त पालन हेतु आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों की देखरेख में विश्वविद्यालय में ही साक्षात्कार करवाया जाये।

सम्बद्धता विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 37: प्रोफेशनल पाठ्यक्रम को चलाने वाले महाविद्यालयों को राष्ट्रीय नियामक संस्था से मान्यता लेनी होती है। शिक्षा संकाय में जो मान्यता एनसीटीई से लेनी होती है। एनसीटीई के पत्र के क्लोज 4 सब क्लोज (ii) में यह स्पष्ट उल्लेख होता है कि जब तक

विश्वविद्यालय की संबद्धता प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाये फिर भी संबंधित समन्वयक द्वारा बिना संबद्धता के प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के निर्णय पर चर्चा।

सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि प्रोफेशनल पाठ्यक्रम को चलाने वाले महाविद्यालयों को राष्ट्रीय नियामक संस्था एनसीटीई के पत्र के क्लोज 4 सब क्लोज (ii) के अनुसार "जब तक विश्वविद्यालय की संबद्धता प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाये" की पालना सुनिश्चित की जाये। इस हेतु एनसीटीई, संबंधित समन्वयक संस्था एवं राज्य सरकार को सूचित किया जाये।

सम्बद्धता विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 38: विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए निर्धारित अवधि के अतिरिक्त मिलने वाले अधिकतम समय के संदर्भ में यूजीसी की अधिसूचना पर आधारित विश्वविद्यालय के प्रशासनिक आदेश/अधिसूचना की पुष्टि। संलग्नक–11

सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए निर्धारित अवधि के अतिरिक्त मिलने वाले अधिकतम समय के संदर्भ में यूजीसी की अधिसूचना पर आधारित विश्वविद्यालय के प्रशासनिक आदेश/अधिसूचना को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है।

संलग्न–11

अकादमिक विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 39: विश्वविद्यालय के उपयोग के लिए भवन अथवा परिसर किराये पर लेने की प्रक्रिया के निर्धारण के संदर्भ में।

सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि विश्वविद्यालय के उपयोग के लिए भवन अथवा परिसर किराये पर लेने हेतु वर्तमान में विश्वविद्यालय में सम्पदा विभाग (Estate Section) नहीं होने के कारण यह प्रक्रिया विश्वविद्यालय की बिल्डिंग कमेटी के माध्यम से निष्पादित की जाये। विश्वविद्यालय की उक्त बिल्डिंग कमेटी के दो टेक्नीकल विशेषज्ञ सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य का उक्त निर्णय लेते समय समिति की बैठक में उपस्थित होना एवं उक्त सदस्य की सकारात्मक अनुशंषा आवश्यक होगी। बिल्डिंग कमेटी के विश्वविद्यालय के उपयोग हेतु किराये पर लिये जाने भवन, परिसर अथवा अन्य अचल सम्पदा की अनुशंषा को विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य है।

सम्पदा विभाग

एजेण्डा बिन्दु संख्या 40: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य एजेन्डा बिन्दु।

1. **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों की नियुक्ति के बाद तुरन्त ही अथवा अल्पकाल बाद मूल दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय द्वारा वापस लौटाने का आग्रह यह कह किया जाता है कि उनके अध्यापकों की कहीं अन्य जगह नियुक्ति हो गई है, ऐसे दस्तावेजों को पुनः लौटाने के संदर्भ में चर्चा।**

   नोटः यह पाया जाता है कि महाविद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति मात्र दस्तावेज बताकर कर रहे हैं, सम्बद्धता प्राप्ति बाद पुनः हटा देते हैं।

सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि ऐसे अध्यापक जिनके मूल दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय द्वारा पुनः मांगे जा रहे हैं, उन्हें इस पूर्ववर्ती शर्त पर लौटा दिये जायेंगें कि वे प्रथमतः विज्ञापन कर नये अध्यापकों की नियुक्ति कर तथा नवनियुक्त अध्यापकों के मूल दस्तावेजों को विश्वविद्यालय में जमा करवाकर पूर्व में नियुक्त अध्यापकों के मूल दस्तावेज विश्वविद्यालय से वापस प्राप्त कर सकते हैं।

सम्बद्धता विभाग

कुलसचिव द्वारा मा. सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव